मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की 50वीं वर्षगाँठ
स्वर्ण जयंती वर्ष

82

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

विविध प्रकरण कमांक 1458-I/09 ग्वालियर, दिनांक 27-10-09

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,
एवं सक्षम प्राधिकारी सीलिंग,
रतलाम मध्यप्रदेश ....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

कारण बताओ सूचना पत्र

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 8 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 597–एक/2009 दर्ज होकर दिनांक 24.10.09 को निराकरण किया गया है । सक्षम प्राधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक की 30.200 हेक्टेयर अतिशेष भूमि घोषित की जाकर कब्जा प्राप्त कर शासन हित में अमल दरामद के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये है । अतः आगामी दिनांक 30.10.09 उज्जैन कैम्प पर आप मय समस्त दस्तावेजों के उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि उक्त भूमि का कब्जा कब प्राप्त किया गया तथा राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कब किया गया एवं उक्त भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है ।

(एस0सी0बर्धन)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर
फैक्स नं. 0751–2457695
फोन नं0 0751–2452820
E-mail- revboard@nic.in

82

88

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - विविध-1458-एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 24-12-2009 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	